उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र,
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड)
प्लाट नं : 9, प्रथम तल, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, कोटला रोड़, नई दिल्ली,
फोन : 011–23219428 फैक्स : 011–23219428
ई–मेल : uasic2016@gmail.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु प्रति माह के आधार पर एक पेट्रोल/इलेक्ट्रिक, सी0एन0जी ईधन चलित टैक्सी वाहन ईधन एवं वाहन चालक सहित की आवश्यकता है। नई दिल्ली स्थित वाहन स्वामियों से जो टैक्सी की सेवाएं प्रदान कराना चाहते हो, अपनी **Two bid** निविदा अर्थात तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक सील बन्द लिफाफे में पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय में **दिनांक 14 अक्टूबर, 2025** को पूर्वान्ह 12 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदा समिति के सम्मुख निविदादाताओं की उपस्थिति अथवा निविदादाताओं की ओर से नामित प्रतिनिधि या अनुपस्थिति दोनों ही दशाओं में खोल दी जायेगी। विस्तृत विवरण एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित है। टैक्सी की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले इच्छुक वाहन स्वामी **दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से दिनांक 13 अक्टूबर, 2025** तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजें से अपरान्ह 5.00 बजे तक निविदा मूल्य रूपये 100+जीएसटी 18% इस कार्यालय में जमा करा कर निविदा प्रपत्र कय कर सकते हैं। निविदा को विभागीय वेवसाइट **https://www.uttarainformation.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। जिन फर्मो द्वारा निविदा प्रपत्र डाउन लोड किया जायेगा उन्हें भी निविदा जमा करने से पूर्व उपरोक्त कार्यालय में निर्धारित फीस जमा करानी होगी। निविदा की प्रकिया किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

Kundan Kumar
(कुन्दन कुमार)
सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र,
नई दिल्ली।

निर्धारित मूल्य – रु. 100+जीएसटी 18%
कुल रूपये : 118/–

उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र,
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड)
प्लाट नं : 9, प्रथम तल, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, कोटला रोड़, नई दिल्ली–110002
फोन : 011–23219428 फैक्स : 011–23219428
ई–मेल : uasic2016@gmail.com

पत्रांकः 103/उ.रा.सू.के.(अधि.)/2025 नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2025

निविदा प्रपत्र

1. **निविदा अपलोड करने की तिथि :**
2. **निविदा प्रपत्र कय करने की तिथि 22 सितम्बर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2025 अपरान्ह 5.00 बजे तक।**
3. **मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 पूर्वान्ह् 12:00 बजे तक।**
4. **मुहरबन्द निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 सांय 4:00 बजे ।**

खण्ड–अ

तकनीकी निविदा : –

तकनीकी निविदा हेतु निम्न अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।

1. निविदा के साथ निविदा शुल्क की रसीद, जमा शुल्क प्रमाणक एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 20000/–(रूपये बीस हजार मात्र) धनराशि का एफ.डी.आर/सी.डी.आर/डी0डी0 सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के नाम से संलग्न करना अनिवार्य बिना एफ. डी.आर./सी.डी.आर./डी.डी. के प्रस्तुत की गई कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। असफल निविदादाताओं की जमानत राशि (Earnest Money) एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।
2. फर्म का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र(जीएसटी नं आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रूपये 10 लाख होना आवश्यक है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024–25 का टर्नओवर, जो कि चार्टर्ड एकाउंटेंट(C.A.) से प्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं।
4. फर्म को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म को पैन कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
6. फर्में के पास कम से कम 3 टैक्सी वाहन अनिवार्य है। पुष्टि हेतु वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। वाहन वर्ष 2023–24 मॉडल से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

7. निविदादाता फर्म को संभावित वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार कार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध करानी होगी।
8. निविदादाता फर्म को रूपये 100 के स्टांप पेपर पर किसी भी राज्य के विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट ना होने तथा किसी राजकीय देयक कर इत्यादि कर इत्याद के बकाया (अवशेष) ना होने का शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।
9. वाहन की वैध बीमा पॉलिसी की छायाप्रति।
10. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन पर वैध फास्टैग लगा होना अनिवार्य होगा।

खण्ड–ब

नियम व शर्ते : –

1. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के अद्यतन मापदण्डों(BS-VI आदि) को पूरा करती हो।
2. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे जमानत के रुप में रु. 60000/–(रूपये साठ हजार मात्र) धनराशि का एफ.डी.आर/सी.डी.आर./डी0डी0 अगला अनुबंधन की दरें स्वीकृत होने तक विभाग के पास बन्धक के रुप में रखना होगा।
3. फर्म को तकनीकी तथा वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफे पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करते हुए सील बंद कर प्रस्तुत करनी होगी।
4. वित्तीय/निविदा/प्रस्ताव केवल उसी फर्म के खोले जायेंगे जो तकनीकी निविदा की शर्ते पूर्ण करती हो।
5. फर्म को वाहन चालक को वर्दी तथा मोबाइल फोन के साथ उपलब्ध कराना होगा। जिसका व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
6. बीजक प्राप्त होने पर नियमानुसार, बजट की उपलब्धता के आधार पर आयकर आदि की कटौती करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
7. टैक्सी आवश्यकता मासिक आधार पर किराये पर ली जायेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार 24×7 घंटे सेवा प्रदान करनी होगी।
8. फर्म का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र(जीएसटी नं आदि) की फोटो प्रति स्व–अभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
9. संतोषजनक सेवा न होने पर फर्म की सेवाएं कारण दर्शाते हुए किसी भी समय नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी।
10. वाहन पूरे एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिचालन हेतु अनुमन्य होना चाहिए।
11. बिलों का भुगतान वास्तविक तय की गई दूरी मे अनुसार किया जायेगा।
12. वाहन चालक/वाहन की क्षति होने पर फर्म द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी, कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की क्षति प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

13. निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
14. किसी प्रकार के विवाद होने पर न्यायालय क्षेत्र उत्तराखण्ड हाईकोर्ट नैनीताल होगा।
15. यदि निविदा खोलने की तिथि को कोई अवकाश घोषित होता है तो अगला कार्यदिवस निविदा खोलने को मान्य होगा।
16. वाहन चालकों के पास वैद्य लाईसेंस होना जरूरी होगा।
17. स्वीकृत दरों के अतिरिक्त यदि वाहन ड्यूटी में होते समय उस दिन का पार्किंग शुल्क तथा टोल शुल्क यदि हो तो, भुगतान वास्तविक देयता पर मासिक बीजक भुगतान के साथ किया जायेगा।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकर करने अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने के लिए संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली का निर्णय अन्तिम होगा।
19. दिल्ली क्षेत्र से बाहरी क्षेत्रों में रात्रि विश्राम की स्थिति में, रात्रि वाहन शुल्क के अतिरिक्त वाहन चालक के भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था का व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
20. निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्रों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करना होगा।

घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त शर्तों को भली–भांति पढ़ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए सभी प्रमाण–पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

फर्म का नाम एवं पता..

....

दूरभाष न0 ....

मोबाइल न0 ....

खण्ड–स

वित्तीय शर्तें :–

फर्म को टैक्सी हेतु दरे निम्न प्रारूप पर अंकित करनी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	स्विफ्ट डिज़ायर व समकक्ष वाहन दर	इनोवा समकक्ष वाहन दर
1.	100 किमी और 10 घंटे प्रतिदिन		
2.	2400 किमी और 240 घंटे (मासिक आधार – 30–31 दिन)		
3.	3000 किमी और 300 घंटे (मासिक आधार – 30–31 दिन)		
4.	क्रमांक 01 के लिए प्रति किमी अतिरिक्त दूरी का दर		
5.	क्रमांक 02 और 03 के लिए प्रति किमी अतिरिक्त दूरी का दर		
6.	क्रमांक 01 से 03 के लिए प्रति घंटे अतिरिक्त समय का दर		
7.	बाहरी स्टेशन के लिए रात्रि शुल्क		

फर्म का नाम एवं पता...

....

दूरभाष न0 ....

मोबाइल न0 ....